fgekpy izns'k vkokl ,o 'kgjh fodkl izkf/kdj.k fuek.k e.My&1 f'keyk ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 04@2010 ls 03@2011

Hkkx&,d

1 ¼d½ izLrkouk %&

निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–एए षिमला के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री एच0आर0 भाटिया अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

¼[k½ fgekpy izns'k vkokl ,o 'kgjh fodkl izkf/kdj.k fuek.k e.My&l f'keyk] ds ys[kkvksa vof/k 04@2010 ls 03@2011 ds vads{k.k izfrosnu esa mYysf[kr xEHkhj vfu;ferrkvksa dk laf{kIr fooj.k

Øe la[;k	xEHkhj vfu;ferrk dk laf{kIr fooj.k	iSjk la[;k	jkf'k ¼yk[kksa esa½
1	स्टाफ अग्रिम वसूली हेतु शेष	4	1.76
	विविध अग्रिम वसूली हेतु शेष	4(1)	34.79
2	जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष	5	0.80
3	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष	5(1)	16.94
4	विज्ञापनों पर अनियमित रूप से व्यय	6	3.96
5	अनुबन्ध की धारा–2 के अर्न्तगत कार्यवाही न करने पर राजस्व की हानि	7	80.59
6	पी0एस0एफ0एस0 संजौली के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक एवं अनियमित भुगतान	8	1.40
7	एस0एफ0एस0 ठियोग के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	9	0.35
8	संविदाकार को निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	10	0.19

9	बैटनरी हॉस्पिटल बिल्डिंग कार्य, चियोग तहसील ठियोग में संविदाकार को अधिक भुगतान	11 व 11(1)	00.6
10	मण्डल के कन्ट्रैक्टर लेज़र में नियमानुसार लेखांकन न करना	12	35.23
11	भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से प्रयोग में न लाया जाना	13	10.97
12	विश्राम गृह षिमला में आय की अपेक्षा अनुचित/अत्याधिक व्यय	14	2ण01
13	यात्रा भत्ते दावे के रूप में अनियमित भुगतान	15	0.44
14	पैट्रोल की अधिक खपत के कारण वित्तीय हानि	16	0.31

¼x½ xr vads{k.k ifronu ½&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्षाई गई है। वर्ष 1990–91 से 2009–10 तक मण्डल से सम्बन्धित 279 शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

Øe la[;k	o"kZ	'ks"k iSjk dh la[;k	fVIi.kh
1	1995–96	3	
2	1996–97	1	
3	1998–99	3	
4	2000–2001	4	
5	2001–2002	5	
6	2002–2003	2	
7	2003–2004	5	
8	2004–2005	5	
9	2005–2006	6	
10	2006–2007	9	
11	2007–2008	13	
12	2008–2009	15	
13	2009–2010	24	

iwoZ uxj fodkl izkf/kdj.k lse.My ,d dk LFkkukUrfjr cdk;k iSjk dh orZeku fLFkfr

14	1990–91	3	
15	1991–92	12	
16	1992–93	7	
17	1993–94	24	

18	1994–95	10
19	1995–96	14
20	1996–97	28
21	1997–98	36
22	1998–99	11
23	1999 से 15.01.01	15
	d|y	279

अतः अधिषासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास निर्माण मण्डल–ए षिमला उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिष्चित करें।

Hkkx & 2

2- **orieku vid{k.k** :–

आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेष षिमला–मण्डल–1 के लेखों अवधि 4/2010 से 3/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किये गए है, श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष के पर्यवेक्षण में सर्व श्री अनिल शर्मा, श्री सुरेष गुप्ता, श्री अनिल मेहरा, अनुभाग अधिकारियों तथा श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.10.2011 से 11.11.2011 तक षिमला–9 में किया गया। मास 11/2010 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच–पड़ताल हेतु किया गया। निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। मण्डल के अधिषासी अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई, किसी भी गलत सूचना अथवा अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 **y[kk ijh{kk 'kYd** %&

निर्माण मण्डल –1, षिमला–9 के वर्ष 2010–11 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेष षिमला –2 के मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जायेगा।

4 **LVkQ vfxze dh jkf'k 1-78 yk[k dk lek;ktu 'k"k** %&

स्टाफ अग्रिम की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2011 को ₹1,78,312/–की राशि कर्मचारियों/अधिकारियों से समायोजन/वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क–1'' में संलग्न है। उपरोक्त राशि के समायोजन/वसूली शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4-1 **fofo/k vfxze dh jkf'k 34-79 yk[k dk lek;ktu 'k"k** %&

निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों तथा कर्मचारियों से दिनांक 31.3.2011 को ₹34,78,614/– की राशि विविध अग्रिम के रूप में वसूली/समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' में संलग्न है। अतः अग्रिम राषि के समायोजन हेतु समयबद्ध तरीके से उचित व ठोस कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।

5- **fnukd 31-3-2011 rd 0-80 yk[k dh jkf'k ty izHkkj dh :i esa edku@IykV ekfydks ls olyh gsrq 'k"k** %&

हिमुडा मण्डल–१ की विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से दिनांक 31.3.11 तक ₹79,842.00 की राशि जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। इस राषि की वसूली हेतु आपेक्षित उचित एवं प्रभावषाली कदम उठाये जाऐं।

Øe l[;k	cLrh dk uke	ty izHkkj dh olyh gsrq

		jkf'k
1	भ्वनेपदह ब्वसवदल"दरंनसपए चैंम.प् – प्प	34,276.00
2	भ्वनेपदह ब्वसवदल"दरंनसपए चैंम.प्प्प	45,566.00
		`79]842-00

(जल प्रभार के रूप में शेष राषि का पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''ग'' से ''ग–3'' में दिया गया है)

5-1 fnukad 31-03-2011 rd `16-94 yk[k dh jkf'k j[k&j[kko izHkkj ds :i esa olwyh gsrq 'ks"k %&

हिमुडा मण्डल–1, षिमला की विभिन्न आवास बस्तियों के आबंटियों से दिनांक 31.03.2011 तक ` 16,94,147.00 की राषि रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, इस राषि की वसूली हेतु प्रभावषाली कदम उठाये जाऐं।

Øe la[;k	cLrh dk uke	j[k&j[kko olwyh dh jkf'k
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	61,175.00
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	2,99,164.00
3	आवास बस्ती रोहड़ू	13,33,808.00
		`16]94]147-00

रख–रखाव प्रभार के रूप में शेष राषि का विवरण परिषिष्ट ''घ–1'' से ''घ–10'' में दिया गया है।

5-2 o"kZ 2010&11 esa j[k&j[kko o ty izHkkj dh vk; dh jkf'k `1-46 yk[k dk e.My dk;kZy; esa foyEc ls tek djokuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा कलौनी संजौली, षिमला–171006 से प्राप्त आय को बिना किसी कारण से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा हस्तगत रखा गया था तथा मण्डल कार्यालय में एक माह से भी अधिक अवधि के बाद जमा करवाया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है इस प्रकार के प्रकरणों से सम्बन्धित कुछ एक उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाए जाते हैं।

Øe la[;k	jlhn la[;k	fnukad ¼vof/k½	jkf'k	tek djus dh frfFk
1	008600	19.02.11	1,500.00	
	009001 से 009031	09.02.11 से 09.03.11	62,869.00	09.03.11
2	009032 से 9038	09.03.11 से 22.03.11	9,594.00	22.03.11
3	008574 से 008599	04.01.11 से 15.02.11	28,740.00	16.02.11
4	008544 से 008573	16.12.10 सें 29.12.10	27,945.00	04.01.11
5	008535 से 008543	11.11.10 से 03.12.10	14,923.00	तिथि नहीं लिखी गई।
		dqy ;ksx	1]45]571-00	

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लम्बे अवधि तक अनियमित रूप से रखी गई राषि बारे स्पष्टीकरण मांगा जाए एवं भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने सम्बन्धित दिषा–निर्देष जारी करना सुनिष्चित करें।

6 okÅpj la[;k 54] fnukad] jkf'k `1]32]075@&

okÅpj la[;k 156] fnukad jkf'k `1]32]075@&

okÅpj la[;k 33] fnukad jkf'k `1]32]075@&

`3]96]225@&

खाता बही के पृष्ठ संख्याः 115 पर दर्षाये गए लेखा शीर्ष ''हैड ऑफिस कैन्टीजैन्सी'' एक्सपैन्सीज एकांऊंट की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न वाऊचरों द्वारा किया गया व्यय आई0एस0बी0टी0 षिमला एवं बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार षिमला में डिस्पले बोर्ड पर उपलब्धियों के विज्ञापन से सम्बन्धित था, डिस्पले बोर्ड की दर निम्न प्रकार से थी :–

1. आई0एस0बी0टी0 षिमला (प्रम 15ष ग 6) ₹25000/– प्रति माह
2. लक्कड़ बाजार षिमला (प्रम 20ष ग 4) ₹22000/– प्रति माह

(शुद्ध भुगतान 15ः छूट की राषि के बाद)

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा कुल भुगतान ₹3,96,225/–अवधि 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान मैं0 प्रैजीडैंट नार्थ हिमालयन एनवायरमैंट प्रोटैक्षन व एजुकेषन सोसाईटी एस0सी0एफ0–14 सैक्टर 15, पंचकुला को किया गया । उपरोक्त व्यय में निम्न आपत्ति पाई गई।

6-1 आई0एस0बी0टी0 षिमला एवं बस स्टैण्ड लक्कड बाजार पर उपलब्धियों के विज्ञापन पर प्रतिमाह भुगतान अपने स्तर पर हिमुडा द्वारा सीधे ही किया गया जबकि उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिषा निर्देषों को ध्यान में रखते हुए जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से किया जाना आपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि इस प्रकार की कोई भी औपचारिक्ता हिमुडा द्वारा नहीं अपनाई गई तथा सीधे ही चलित रूप में प्रति मास/त्रिमासिक भुगतान एक संस्था को किया गया। अतः उपरोक्त विज्ञापन शीर्ष पर व्यय जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व किए गए भुगतान के औचित्य की पुष्टि उक्त विभाग से करवाई जाए व भविष्य में इस प्रकार का व्यय जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

7- vuqcU/k dh /kkjk&2 ds vUrxZr dk;Zokgh u fd, tkus ds QyLo:i jkf'k `80-59 yk[k ds jktLo dh gkfu %&

हिमुडा मण्डल–1 द्वारा आबंटित कार्य को अनुबन्धित समयावधि में पूर्ण न करने अथवा कार्य को धीमी गति से निष्पादित करने पर अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार अधिकतम अनुबन्धित राषि का 10ः भाग मुआवजे के रूप में वसूल किया जाना अपेक्षित था परन्तु संविदाकारों द्वारा अनुबन्ध की धारा/क्लॉज़–2 की अवहेलना किए जाने अर्थात कार्य को आबंटित समायावधि में पूर्ण न करने अथवा कार्य की धीमी गति से करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार/ अनुबन्धानुसार कोई कार्यवाही

नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप हिमुडा मण्डल–1 को मुआवजे के रूप में लगभग ₹80,58,979/–की हानि हुई है जिसका विवरण परिषिष्ट (ङ(1) व ङ(2)) में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने के फलस्वरूप विभागीय कार्य कुषलता पर भी प्रष्न चिन्ह लगता है तथा प्रषासनिक व्यय में स्वतः ही बढ़ौतरी होती रहती है। अतः ₹80,58,979/–अनुबन्धों की धारा–2 के अर्न्तगत मुआवजे के रूप में न वसूल किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व पूर्ण प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विषेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

8 jkf'k 1-40 yk[k dk lafonkdkj dk vf/kd ,oa vfu;fer Hkqxrku %&

अनुबन्ध संख्याः	8 वर्ष 2008–2009
निर्माण कार्य का नाम	पी0एस0एफ0एस0, संजौली
	(ण्भ्ण् ब्व 21 छवे ब्ंजमहवतल.प् थ्संजमे)
संविदाकार का नाम	मैं0 हिम इंजिनियर कन्सलटैंट
चलत बिल	सप्तम चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य के सप्तम चलत बिल में अनुबन्ध मद संख्या 15 (टी0एम0टी0/टोर स्टील रिफोर्समैण्ट फार आर0सी0सी0) को रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्याः 1543, पृष्ठ संख्याः 89 पर दर्ज थी के अवलोकन में पाया गया कि गलत गणना के फलस्वरूप 1554.05 किलोग्राम मात्रा का अधिक भुगतान किया गया है। सही गणना अनुसार 8 एम0एम0 सरिये की मात्रा 17420.20 मीटर बनती है जबकि मापन पुस्तिका के उक्त पृष्ठ पर इस मद की गणना 21404.95 मीटर की गई है इस प्रकार गणना 3984.75 मीटर अधिक ली गई है। अतः कुल 3984ण्75 ग 0ण्39 त्र 1554ण्05 किलोग्राम सरिये की कार्य मात्रा का ₹40/–प्रति किलोग्राम की दर से कुल ₹62,162/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सुनिष्चित की जाए।

8-1 अनुबन्ध की मद संख्याः 60 ''स्टील वर्क वैल्डिड इन विल्ट अप सेक्सन ट्रंजिस एण्ड फ्रेम वर्क (ए) इन विमज, ज्वाईंट, चैनल एन्गल टी................ ब्लाक नम्बर 37 में चैनल 100 ग 50 व 1ैस्ब्75 की रिकॉर्ड प्रविष्टियों मापन पुस्तिका संख्याः 1585 के पृष्ठ 33 व 35 में कन्वर्सन फैक्टर क्रमषः 8.600 कि0ग्रा0 व 6.800 कि0ग्रा0 प्रति मीटर लगाया गया है जबकि 1स्ब्100 ;100 ग 50द्ध का कन्वर्सन फैक्टर वास्तव में 7.900 कि0ग्रा0 प्रति मीटर व ैस्ब्75 का कन्वर्सन फैक्टर 6.800 कि0ग्रा0/प्रति मीटर है। अतः गलत फैक्टर लगाने के कारण निम्न विवरणानुसार अधिक मात्रा हेतु भुगतान किया गया है।

l{;k@ i"B l{;k				
1585 पृष्ठ–33	ैस्ह100	360ण्88ग8ण्600त्र3103ण्57 ाह	360ण्88ग7ण्900त्र2850ण्95 ाह	253ण्62 ाह
1585 पृष्ठ–35	ैस्ह100	111ण्65ग8ण्600त्र960ण्19 ाह	111ण्65ग7ण्900त्र882ण्03 ाह	78ण्16 ाह
1585 पृष्ठ–33	ैस्ह75	697ण्49ग6ण्800त्र4792ण्93 ाह	697ण्49ग5ण्700त्र3975ण्69 ाह	817ण्24 ाह
			Tot:l	1148.02 kg

इस प्रकार मात्रा 1148.02 कि0ग्रा0 का ̧62/–प्रति किलोग्राम की दर से कुल राषि ̧71,177/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-2 अनुबन्ध की मद संख्याः 99 (च्धिच्टः चपचम 100 उउ कपं वित ूमम च ीवसम ब्ण्ड 1रू3) की कार्य मात्रा 263.20 मीटर का भुगतान किया गया है परन्तु उक्त निष्पादित की गई मात्रा के समरूप मात्रा 2.07 घन मीटर को प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी0सी0 हेविंग स्ट्रैण्थ एम0–20 (सी$_2$ ूससे) की कार्य मात्रा से नहीं घटाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

पाईप 100उउ 263ण्20 उ त्र 22ध्7गण्05गण्05ग263ण्20त्र2ण्07 घन मीटर

2.07 घन मीटर मात्रा को प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी0सी0 हेविंग स्ट्रैण्थ एम0–20 (वी0–बाल) से न घटाने के फलस्वरूप ̧3000/–प्रति घन मीटर की दर से कुल ̧6210/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वूसली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9- l{fonkdkj dk 0-35 yk[k dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku %&

कार्य का नाम श्ब्व ैमसि पिदंदबपदह `बीमउम ंज जीमवह क्पेजज ैीपउसं ;भ्ण् ब्व ंचचतवंबी तवंक उमजजंसपदहए त्ंपसस वितज ूससए तवंक`पकम कतंपदेए बनसअमतजे मजबश्

संविदाकार का नाम :– मैं0 श्री लायक राम चौहान, समोली रोहड़ू जिला षिमला (हि0प्र0)

अनुबन्ध संख्याः 36 वर्ष 2009–2010

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल की विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया कि अनुबन्ध की मद संख्याः 8 (प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी0सी0 1:4:8 ग्रेडिंड स्टोन 25 एम0एम0) का भुगतान 20.61 घन मीटर मात्रा हेतु अधिक किया गया है। मापन पुस्तिका संख्याः 1670 पेज 17 पर की गई प्रविष्टि जो वास्तव में आर0आर0 मैषनरी से घटाने के प्रयोजन से की गई थी को बिल अवस्ट्रेक्ट बनाते समय मापन पुस्तिका 1670 पृष्ठ 18 की वास्तव प्रविष्टि के अतिरिक्त केरिड फारवरड किया गया है। इस प्रकार मात्रा 20.61 घन मीटर दो बार गलत तरीके से लेकर, अधिक भुगतान किया गया। अतः मद संख्याः 8 का ̧1700/–प्रति घन मीटर की दर से 2061 घन मीटर मात्रा हेतु राषि ̧35,037/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण की अवगत करवाया जाए।

9-1 अनुबन्ध की मद संख्याः 25 (प्रोवाईडिंग एण्ड फिकसिंग पी0वी0सी0 पाईप 100 एम0एम0 डाया इन वीप होल) की मात्रा 736.01 मीटर का भुगतान संविदाकार को किया गया है परन्तु उक्त निष्पादित की गई मात्रा के समरूप मात्रा 5.78 घन मीटर को अनुबन्ध की मद संख्याः 13 (आर0आर0 मैषनरी) से नहीं घटाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार था :–

पाईप 100 एम0एम0 736.01 मीटर 22д7ग0ण05ग0ण05ग736ण01त्र5ण78 घन मीटर

5.78 घन मीटर मात्रा को आर0आर0 मैषनरी से न घटाने के फलस्वरूप उक्त मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद ꠸1600/–प्रति घन मीटर की दर से कुल राषि ꠸9248/–का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्चित की जाए।

10- <u>lafonkdkj dk 0-19 yk[k dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku djuk</u> %&

कार्य का नाम :–	ब्ध्व कूमससपदह नदपजे वित नतइंद चववत नदकमत इंपब `मतअपबमे वित नतइंद चववत ;ठैन्च्द्ध वि प्ददनतद ंज वींससपए ैपउसं ;भ् ब्ध्व 176 दवे सिंजे 1ध्ब ेधैप्ए क्मअ वि पजम बध्व त्ूंससए ंचचतवंबी चंजीए मगजमदजपवद वि `मूमतंहम `लेजमउ – ूंजमत `नचचसल `बीमउमद्ध
अनुमानित राषि	꠸3,46,33,336/–
आबंटित राषि	꠸6,74,70,291.79
संविदाकार का नाम	मैं0 हिम इंजिनियर एण्ड कन्सल्टैन्टस, षिमला–171009
अनुबन्ध संख्या	18 वर्ष 2009–2010
कार्य समापन अवधि	1) वर्ष

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन पत्र संख्याः हिमुडा/ए–2(811 (/2009–3538–46, दिनांक 05.10.2009 द्वारा मैं0 हिम इंजिनियर एण्ड कन्सल्टैन्टस, षिमला 171009 को ꠸6,74,70,291.79 के लिए किया गया। कार्य समापन हेतु 1) वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी तथा निर्धारित अवधि अर्थात 20.04.2011 तक ꠸85,36,937/–का ही कार्य निष्पादित किया गया था इस प्रकार निर्धारित समय अवधि के भीतर केवल 13ः निर्माण कार्य ही निष्पादित किया गया वस्तुतः निर्माण कार्य को समय पर पूरा न करने अथवा धीमी गति से निष्पादन करने हेतु अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी आपेक्षित थी। संविदाकार के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10-1 अनुबन्ध के परिषिष्ट–''ए'' की मद संख्याः ''एकसावेषन इन फाऊंडेषन ट्रेन्चिस'' की रिकार्ड प्रविष्टियों में मात्रा की गणना सही नहीं पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

eki iqfLrdk la[;k@i"B la[;k	ek=k@x.kuk tks dh xbZ Fkh	ek=k@x.kuk tks okLrfod Fkh	vf/kd x.kuk
1575/08 पृष्ठ–8	त्व 25ण55 जव 27ण55 1ग2ग0ण90ग0ण60त्र10ण80	1ग2गण90गण60त्र1ण08	9ण72 उ3

1575 / 08 पृष्ठ—18	त्क वध्4ण10 जव 0ध्9ण95 1ग8ण85ग2ग1ण752ण10त्र29ण28 / 2	1ग5ण85ग2ग1ण752ण10त्र22ण52 / 2	6ण76 उ3
		dqy vf/kd ek=k	16.48 m3

इस प्रकार 16.48 m3 मात्रा का ₹160 / —प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹2637 / —का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10-2 अनुबन्ध के परिषिष्ट ''ए'' की मद संख्याः 12 ''प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 / टोर स्टील रिफोर्समेन्ट.................'' की कार्य मात्रा की गणना सही नहीं पाई गई जिसका विवरण निम्नलिखित है

eki iqfLrdk l[;k@i"B l[;k	ek=k@x.kuk dh xbZ	ek=k@x.kuk tks okLrfod Fkh	vf/kd x.kuk
1576 पृष्ठ—21	12उउ 2ग2ग6ण23त्र37ण38 उ	2ग2ग6ण23त्र24ण92 उ	12ण46 उ
		12ण46ग0ण89त्र11ण10 ाह	
1673 पृष्ठ—19 (8एम0एम0 सरिया की गणना, 16 एम0एम0 सरिया में ली गई है)	16उउ 16ग23ग0ण75त्र276उ 276 उ ग 1ण58 त्र 436ण08 ाह	8उउ 16ग23ग0ण75त्र276उ 276उ ग0ण39 त्र 107ण64 ाह	
	अधिक गणना	436ण08 दृ 107ण64	328ण44 ाह
	कुल अधिक मात्रा का भुगतान	11ण10. 328ण44	339ण54 ाह

इस प्रकार 339.54 कि0ग्रा0 की कार्य मात्रा का ₹38 / —प्रति कि0ग्रा0 की दर से कुल राषि ₹12,903 / —का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10-3 कार्य अनुबन्ध के परिषिष्ट ''ए'' की मद संख्याः 16 ''कन्सटर्कसन ऑफ ड्राई खल मैषनरी इन ब्रेस्ट / रेटेनिंग वाल................'' की मात्रा 3.32 मीटर3 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न है उक्त मात्रा की गणना दो बार की गई है अर्थात इस मद को उपरोक्त मद के अतिरिक्त आर0आर0 मैषनरी 1:6 में भी लिया गया है जबकि आर0आर0 ड्राई मैषनरी में ही ली जानी चाहिए थी जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उक्त मद का अधिक भुगतान किया गया है

eki iqfLrdk l[;k@i"B l[;k	x.kuk vf/kd yh xbZ
1575 / 08, पृष्ठ—46	त्क 0ध्2ण30 जव त्क 0ध्7ण70 1ण17. ण89 / 2 गण89 ग;3ण60द्ध त्र 3ण32 घन मीटर

इस प्रकार 3.32 घन मीटर की मात्रा का ़700/—प्रति घन मीटर की दर से ़2324/—का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10-4 अनुबन्ध के परिषिष्ट ''ए'' की मद संख्याः 6 ''प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी0सी0 1:6:12 की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा सही नहीं पाई गई जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :—

eki iqfLrdk l[;k@i"B l[;k	ek=k@x.kuk tks dh xbZ Fkh	ek=k@x.kuk tks okLrfod n'; Fkh	vf/kd x.kuk
1575 पृष्ठ—18	1ग5ण85ग2ण00ग0ण15त्र2ण28ेुउ	1ग5ण85ग2ण00ग0ण15त्र1ण76	0ण52ेुउ

इस प्रकार 0.52 घन मीटर मात्रा का ़1800/—प्रति घन मीटर की दर से राषि ़936/—का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

10-5 चलत बिल संख्याः 3 व 4 द्वारा संविदाकार को क्रमषः 06/10 व 09/10 को ़5,79,927/—व ़17,91,246/—का भुगतान हिमुडा मण्डल—1 द्वारा डोर फ्रेम व फिक्सड स्टील विन्डो व साईड विंडो की खरीद हेतु ैमबनतमक ।कअंदबमश के रूप में किया गया परन्तु दिनांक 31.03. 2011 तक उक्त अग्रिम राषि का समायोजन नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त खरीद की गई वस्तुओं की निर्माण कार्य स्थलपर उस समय आवष्यकता नहीं थी वास्तव में उक्त मद का दिनांक 31.03.2011 तक कार्यन्वयन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों को दोहराने से परिहार किया जाए।

इसके अतिरिक्त मण्डल—1 द्वारा अग्रिम प्रदान की गई राषि 23,71,173/—से सम्बन्धित खरीद वाऊचर/बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जो अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व बिल/वाऊचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। (विस्तृत विवरण परिषिष्ट ''च'' पर उपलब्ध है)

11- okÅpj l[;k 54] fnukd 03-11-10] jkf'k 7]54]314-00 %&

कार्य का नाम	ब्व टमजमतपदंतल भ्वेचपजंस ठनपसकपदह ंज बैमवह ज्मी जैमवह क्पेजजण् ैीपउसं
संविदाकार का नाम	श्री ओ0पी0 शर्मा
चलत बिल संख्या	तृतीय चलित बिल
माप पुस्तिका संख्या	1594/08

अनुबन्ध संख्या 17 आफ 2008–2009

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा ₹7,54,314/–की राषि का भुगतान श्री ओ0पी0 शर्मा, ठेकेदार को तृतीय चलित बिल हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

xyr x.kuk d dkj.k 5160@&dk vf/kd Hkxrku ½&

अनुबन्ध संख्याः 17 ऑफ 2008–09 की मद संख्याः 56, 57, 58 और 59 की जाँच में पाया गया कि ब्मउमदज च्संेजमत की मात्रा की गणना करते समय ँपतजपदह की मात्रा को कम नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹5160/–राषि का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से शीघ्र की जाए।

vuqcU/k dh vkbVe l0	eki iqfLrdk l0 o i0 l0	fjdkMZ eki iqfLrdk l0@i0 l0	yh xbZ ek=k	lkirting dh ek=k ?kVkus ds ckn nh; ek=k	vf/kd yh xbZ ek=k	nj izfr ehVj^{2}	vf/kd Hkqxrku
56	1594/08 च्छवण 37	1593/08 च्छवण 53	149ण्62 उ^{2}	134ण्89 उ^{2}	14ण्73 उ^{2}	77	1134.00
57	1594/08 च्छवण 37	1593/08 च्छवण 55	311ण्75 उ^{2}	282ण्76 उ^{2}	28ण्99 उ^{2}	87	2522.00
58	1594/08 च्छवण 37	1593/08 च्छवण 55	59ण्83 उ^{2}	55ण्75 उ^{2}	4ण्08 उ^{2}	90	367.00
59	1594/08 च्छवण 38	1593/08 च्छवण 53	186ण्20 उ^{2}	173ण्57 उ^{2}	12ण्63 उ^{2}	90	1137.00
							5160-00

11-1 vf/kd ek=k fy, tkus ds dkj.k 1241@&dk vf/kd Hkqxrku ½&

अनुबन्ध संख्याः 17, ऑफ 2008–2009 की आईटम संख्याः 35 एवं 38 की जाँच में पाया गया कि गलत गणना के कारण मद संख्याः 35 और 38 की अधिक मात्रा ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹1241/–का अधिक भुगतान किया गया का विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राषि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जाए।

vuqcU/k dh vkbVe l0	eki iqfLrdk l0 o i0 l0	fjdkMZ eki iqfLrdk l0@i0 l0	yh xbZ ek=k	ek=k tks yh tkuh pkfg, Fkh	vf/kd yh xbZ ek=k	nj izfr ehVj^{2}	vf/kd Hkqxrku
35	1594/08 च्छवण 33	1593/08 च्छवण 49	83ण्67 उ^{2}	82ण्49 उ^{2}	1ण्18 उ^{2}	520	614.00

38	1594 / 08 चण्छवण 34	1593 / 08 चण्छवण 50	20ण49 उ^2	16ण80 उ^2	3ण69 उ^2	170	627.00
							1241-00

12 jkf'k 35-23 yk[k dk dUVªDVj ystj esa y[kkdu u djuk %&

भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु समय–समय पर स्टॉक / भण्डार से निर्माण सामग्री जारी की गई थी परन्तु उक्त सामग्री के मुल्य को सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखांकित नहीं किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसे कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हें जिनमें जारी की गई निर्माण सामग्री के मुल्य को सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखांकित नहीं दर्षाया गया है। अतः इन मामलों में आपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

dk;Z dk uke	lafonkdk dk uke	b.MsUV l0 o fnukd	lkexh dk uke o fooj.k	lkexh tkjh nj	dqy jkf'k
ब्व चैध्ए ैदरंनसप ;ै 21 छवे ब्ज.प सिंजेए ठसवबा दवण 34 जव 37)	भ्पउ म्दहपदममत ब्वदेजंदजे	3880 02.04.10	200 ठंहे	/ 168ण00	33,600.00
		3883 24.04.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3884 26.04.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3910 03.05.10	154 ठंहे	/168ण00	25,872.00
		3911 07.05.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3889 17.05.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3879 22.05.10 3887 21.05.10	10उउ 2ण्डज ैजममस 20 उउ 2ण940 डण्ज ैजममस 16उउ 4ण463 डण्ज	/37108 डण्ज	3,48,927.00
		3897 15.06.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3894 15.06.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3892 04.06.10	200 ठंहे	/168ण00	33,600.00
		3895	8उउ.9ण000 डण्ज 10उउ. 2ण000 डण्ज	/37108 डण्ज	7,14,143.00

	25.06.10	12उउ. 2ण्980 डण्ज 16उउ. 1ण्165 डण्ज 20उउ. 4ण्100 डण्ज		
	3899 21.09.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	3928 18.10.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	3922 18.10.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	3925 20.11.10	16उउ 3ण्000 डण्ज	/37108	1,11,324.00
	3932 20.11.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	3930 01.11.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	1651 20.12.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	1652 23.12.10	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	3933 06.01.11	8उउ 4ण्630 10उउ 2ण्614 12उउ 2ण्145 16उउ 1ण्580	/37108	4,07,038.00
	1653 27.01.11	90 ठंहे	/168ण्00	15,120.00
	1654 25.02.11	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	1655 16.03.11	200 ठंहे	/168ण्00	33,600.00
	1656 24.03.11	400 ठंहे	/168ण्00	67,200.00
	1657 24.03.11	8उउ.3डण्ज 10उउ.2डण्ज	/37108	1,85,540.00
	1658 25.03.11	16उउ.2ण्266डण्ज	/37108	84,087.00
ब्व च्दबींलज च्तंकममच ज्ञनउंत प्देचमबजवत ंदक छमहप ैण्ण् तमेपकमदबम ंज छपतउंदक				
	3666 21.06.10	180 ठंहे	/172ण्00	30,960.00
	3667 21.06.10	8उउ.1ण्020 डण्ज 10उउ. 0ण्300 डण्ज	/40564	88,835.00

		12उउ. 0ण570 डण्ज 16उउ.0ण300 डण्ज		
	<u>3670</u> 24.09.10	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3536</u> 15.09.10	8उउ.1ण000डण्ज	/40564	40,564.00
ब्ध्व ळ्ैैै डङ्घ्ै स्ममसं ठीनजजप 7छवे म्दजमतचतपेमे				
	<u>3813</u> 06.04.10	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3814</u> 05.05.10	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3535</u> 18.05.10	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3821</u> 10.06.10	150 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3668</u> 31.08.10	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3537</u> 19.10.10	8उउ.1ण000	/42135	42,135.00
	<u>3671</u> 19.10.10	150 ठंहे	/172ण00	25,800.00
	<u>3540</u> 19.11.10	250 ठंहे	/172ण00	43,000.00
	<u>3680</u> 29.03.11	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
ळ्ैैैण ळींपदप 10 छवे त्ववउे				
	<u>3908</u> 13.04.10	100 ठंहे	/172ण00	17,200.00
	<u>3905</u> 26.04.10	20उउ. 1ण995	/42125	84,039.00
	<u>3912</u> 26.05.10	8उउ. 1ण890 10उउ. 0ण600 12उउ. 1ण445 16उउ. 3ण165	/42125	2,99,088.00
	<u>3917</u> 06.09.10	200 ठंहे	/172ण00	34,400.00
	<u>3923</u> 02.10.10	0ण446 डण्ज 0ण636 डण्ज	/42125	45,579.00
			To t i l	35]22]891-00

13- jkf’k ¹10-97 yk[k dh Hk.Mkj enksa dk foxr dbZ o"kksZ ls mi;ksx ugha djuk %&

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.03.2011 को पाये गए अन्तषेष की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को ₹19,29,222.69 का सामान शेष पाया गया । हिमुडा मण्डल–1 द्वारा उपलब्ध निर्माण सामग्री विवरण अनुसार ₹10,97,236.68 की सामग्री भण्डार में शेष (जिसका विवरण परिषिष्ट ''छ'' पर उपलब्ध है) में पाया गया कि उक्त सामग्री कई वर्षों से बिना उपयोग के वर्ष दर वर्ष शेष दर्षाई जा रही है। अनेक वर्षों से लम्बित होने के कारण इसकी वास्तविक उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी होगी। परन्तु वास्तविक सत्यापन करते समय इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सर्विसेवल सामग्री को उपयोग में लाया जाए तथा अनसर्विसेवल सामग्री को कुल स्टॉक से हटाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 foJke xg f’keyk ¼BC½ dh fy, vk; dh vis{kk ¹2]01]268-00 dk vuqfpr@ vf/kd O;; %&

हिमुडा मण्डल–1 षिमला–9 के अर्न्तगत बी0सी0एस0 स्थित विश्राम गृह के वर्ष 2010–2011 के आय–व्यय से सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विश्राम गृह में वर्ष 2010–11 के दौरान कुल ₹36,225.00 की आय/प्राप्ति दर्षायी गई है एवं ₹2,37,493.00 कुल व्यय किया गया है जो आय से ₹2,01,268.00 अधिक है। गौरतलब है कि मात्र बिजली पानी के बिलों के भुगतान पर ही दो लाख के लगभग खर्च हुआ है, जिससे यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि विश्राम गृह में दैनिक ब्बनचंदबल 80ः जव 90ः तक औसतन रहती है परन्तु यात्री टपेपजपदह तमहपेजमत के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि मात्र एक माह में नाम मात्र प्रविष्टियाँ ही की गई दर्षायी हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए पानी व बिजली की खपत के आधार पर ₹2,01,268.00 का कोई औचित्य नही बनता है। यहां यह भी कहना उचित होगा कि षिमला में विश्राम गृह में आगन्तुकों का ठहराव नाम मात्र नहीं हो सकता तथा आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए ठहराव 80ः से 90ः लगभग होना चाहिए था। अतः स्पष्ट है कि विश्राम गृह का दुरूपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप ₹2,01,268.00 का बिजली पानी के बिलों के रूप में अतिरिक्त भुगतान करके हिमुडा लेखों को अनावष्यक रूप से बोझ डाला गया है। आय को ध्यान में रखते हुए ₹2,37,493.00 के किए गए व्यय को ठोस तथ्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रृटि बारे मामला हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

15 ;k=k HkÙkk nkos dk :i esa ¹0-44 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku %&

यात्रा भत्ता दावे के वाऊचरों के अवलोकन पर पाया गया कि हिमुडा के सहायक अभियन्ताओं को व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹44,448/–का अनियमित भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्याः हिमुडा 5–439/2005, दिनांक 16.02.2005 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिषासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेना

आवष्यक था, परन्तु निम्नलिखित मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया गया, जिसके कारण यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹44,448.00 की राषि का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका औचित्य अनुदेषों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवायें।

;k=k djus okys dk uke	ekg@ ok0 l0	okgu }kjk r; nwjh ftl dk Hkqxrku fd;k x;k	Hkqxrku dh xbZ nj izfr fd0eh0	Hkqxrku dh xbZ jkf'k	fVIi.kh
श्री गोपाल चौहान सहायक अभियन्ता	06/10, 8	280 कि0मी0	6/–	1680	दिनांक 22.02.10 से 23.02.10 तक बद्दी से नालागढ़ एवं वापसी षिमला यात्रा की गई।
श्री देस राज गांधी सहायक अभियन्ता	06/10, 112	610 कि0मी0	6/–	3660	दिनांक 03.05.10 से 23.05.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
	07/10, 48	1584 कि0मी0	6/–	9504.00	दिनांक 01.08.09 से 28.08.09 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		1303 कि0मी0	6/–	7818.00	दिनांक 02.09.09 से 19.09.09 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
	08/10, 59	935 कि0मी0	6/–	5610.00	दिनांक 01.10.09 से 31.10.09 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
	02/11, 164	490 कि0मी0	6/–	2940.00	दिनांक 03.08.10 से 21.08.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		290 कि0मी0	6/–	1740.00	दिनांक 19.10.10 से 21.10.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		908 कि0मी0	6/–	5448.00	दिनांक 03.12.10 से 22.12.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।

श्री तिलक राज शर्मा सहायक अभियन्ता	15 ⁄ 2010, ैनइ टतण्6	106 कि0मी0	6 ⁄ —	636.00	दिनांक 15.02.10 से 17.02.10,
		222 कि0मी0	6 ⁄ —	1332.00	दिनांक 12.03.10 से 29.03.10,
		680 कि0मी0	6 ⁄ —	4080.00	दिनांक 03.05.10 से 29.05.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		dqy ;kx		44]448-00	

16 iVky dh vf/kd [kir d dkj.k 0-32 yk[k dh foÙkh; gkfu %&

हिमुडा मण्डल–1 के वाहन नम्बर भ्च्.51.3565 की लॉग बुक के अनुसार अधिषासी अभियन्ता द्वारा वाहन की पैट्रोल औसत 6ः12 लीटर माह 05 ⁄ 08 में रोड टैस्ट उपरान्त निर्धारित की गई हिमाचल प्रदेष सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्याः ळ।क्.1.96ए कंजमक 21. 01.97 द्वारा स्थानीय यात्रा हेतु जिप्सी की पैट्रोल औसत 8 कि0मी0 निर्धारित की है। अतः वाहन की औसत सामान्य प्रषासन द्वारा निर्धारित औसत से 1.81 कि0मी0 कम थी। निम्न विवरणानुसार ृ31,588.87 के पैट्रोल की अधिक खपत दर्षायी गई है। उपरोक्त वाहन की औसत को नियमानुसार भ्च्च्ॅक्ध्भ्त्ज्ब के सक्षम तकनीकी अधिकारी से सत्यापित करवाकर अधिक दर्षाई गई पैट्रोल की खपत की राषि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल किया जाना सुनिष्चित करें।

ekg	ftru fd0eh0 xkMh pyh	iVky dh [kir	vkSlr izfr fd0eh0 izfr yhVj	ljdkj }kjk fu/kkfjr [kir izfr yhVj	ljdkj }kjk fu/kkfjr vkSlr d vuqlkj ¼iVky dh [kir½	ljdkj }kjk fu/kkfjr vkSlr dh vuqlkj iVky dh vf/kd [kir	iVky dh nj	jkf'k
04 ⁄ 10	2573	415	6.20	8 ाउ	321.62	93.38	52ण36	4889.37
05 ⁄ 10	2436	393	6.20	8 ाउ	304.50	88.50	52ण36	4633.86
06 ⁄ 10	1775	286	6.20	8 ाउ	221.90	64.10	52ण36	3356.27
07 ⁄ 10	1895	305	6.21	8 ाउ	236.80	68.20	52ण38	3572.31
08 ⁄ 10	1314	211.54	6.21	8 ाउ	164.25	47.29	56ण32	2663.37
09 ⁄ 10	1214	196	6.19	8 ाउ	151.75	44.25	56ण32	2492.16
10 ⁄ 10	1270	205	6.16	8 ाउ	158.75	46.25	56ण32	2604.80
11 ⁄ 10	642	104.31	6.15	8 ाउ	80.25	24.00	58ण00	1392.00
12 ⁄ 10	776	126	6.16	8 ाउ	97.00	29.00	63ण81	1850.49

01/11	360	68	5.29	8 ाउ	45.00	23.00	63ण81	1467.63
02/11	671	108.54	6.18	8 ाउ	83.87	24.67	63ण81	1574.19
03/11	453	73.74	6.14	8 ाउ	56.62	17.12	63ण81	1092.42
							Total	31]588-87

17- jkf'k 2000@&Vªk;y oSyUl esa de n'kkZ;k tkuk %&

ट्रायल वैलैंस (वर्ष अन्त) का मिलान सम्बन्धित बहियों/खातों से करने पर पाया गया कि श्री ललित कुमार, सहायक अभियन्ता के अग्रिम खाते का अन्तिम शेष ट्रायल वैलैंस में ₹22,937/–दिखाया गया था जबकि सम्बन्धित खाता बही अनुसार शेष ₹24,937/–था इस प्रकार ट्राईल वैलैंस में ₹2000/–से कम शेष दिखाया गया था लेखा शीर्ष ''अग्रिम श्री ललित कुमार, सहायक अभियन्ता'' की शेष राषि गलत दर्षाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवष्यक सुधार नियमानुसार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

18- jkf'k 660@&dk fcy ty iHkkj dk :i esa l`ftr djus ckjs %&

आवासीय बस्ती संजौली षिमला–6 के अर्न्तगत ब्लॉक नम्बर 03, फ्लैट नम्बर 03, कैटगरी–3 जो श्री मति हरजीत कौर के नाम आबंटित हैं के पक्ष में जल–प्रभार का बिल अवधि 01.06.2010 से 30.11.10 तक सृजित नहीं किया गया। 01.06.2010 से 30.11.10 तक जल प्रभार का बिल ₹660.00 देय है। अतः अपेक्षित बिल जारी करने के उपरान्त राषि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

19- lsok iaft;ksa dk j[k&j[kko fu;ekuqlkj u djuk %&

हिमुडा मण्डल–1 षिमला अवधि 2010–11 के दौरान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितिकरण के कारण की गई वेतन निर्धारण की प्रविष्टि जिस वर्ष से वेतन निर्धारण किया गया है सेवा पुस्तिकाओं में नहीं की गई। मात्र कार्यालय आदेश की छाया प्रति ही सेवा पुस्तिका में लगा रखी है। सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि न करने से भविष्य मे वेतन का अनियमित भुगतान किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। वेतन निर्धारण/वेतन का पुनः निर्धारण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में करना सुनिष्चित करें।

20- y?kq vkifÙk foojf.kdk %& लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी तथा समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा कार्य स्थल पर ही कर दिया गया।

21- fu"d"kZ %& लेखों में विषेष सुधार की आवष्यकता है तथा अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विषेष ध्यान देने की आवयकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)123 / 88–खण्ड–14, दिनांक,षिमला–171009,

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेष सरकार षिमला–2
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार षिमला–171002.

lkftdr 3 अधिषासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–1 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिषचित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009

¼vuii d|ekj ?kk:½

fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k ds fuekZ.k e.My&1] f'keyk&171009 ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

'ks"k iSjksa dk o"kZ okj fooj.k vads{k.k vof/k 4@2010 ls 3@2011 rd

¼1½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@1995 ls 3@1996

1. पैरा 23 अनिर्णीत ।
2. पैरा 28 अनिर्णीत ।
3. पैरा 43 अनिर्णीत ।

¼2½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@1996 ls 3@1997

1. पैरा 12 (च) अनिर्णीत ।

¼3½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@1998 ls 3@1999

1. पैरा 50 अनिर्णीत ।
2. पैरा 51 (क) अनिर्णीत ।
3. पैरा 51 (ख) अनिर्णीत ।

¼4½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2000 ls 3@2001

1. पैरा 9 अनिर्णीत ।
2. पैरा 11 अनिर्णीत ।
3. पैरा 30 अनिर्णीत ।
4. पैरा 31 अनिर्णीत ।

¼5½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2001 ls 3@2002

1. पैरा 13(1) अनिर्णीत ।
2. पैरा 13(2) अनिर्णीत ।
3. पैरा 14(1) अनिर्णीत ।
4. पैरा 14(2) अनिर्णीत ।
5. पैरा 33 अनिर्णीत ।

¼6½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2002 ls 3@2003

1. पैरा 9 अनिर्णीत ।
2. पैरा 10 अनिर्णीत ।

¼7½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2003 ls 3@2004

1. पैरा 15(ख) अनिर्णीत ।
2. पैरा 15(ग) अनिर्णीत ।
3. पैरा 21 अनिर्णीत ।
4. पैरा 23(क) अनिर्णीत ।
5. पैरा 23(ख) अनिर्णीत ।

¼8½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2004 ls 3@2005

1. पैरा 9(क) अनिर्णीत ।
2. पैरा 9(ख) अनिर्णीत ।
3. पैरा 10(क) अनिर्णीत ।
4. पैरा 26 अनिर्णीत ।
5. पैरा 30 अनिर्णीत ।

¼9½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2005 ls 3@2006

1. पैरा 9(3) अनिर्णीत ।
2. पैरा 12(2) अनिर्णीत ।
3. पैरा 14 अनिर्णीत ।
4. पैरा 18 अनिर्णीत ।
5. पैरा 19 अनिर्णीत ।
6. पैरा 22 अनिर्णीत ।

¼10½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2006 ls 03@2007

1. पैरा 10(क) अनिर्णीत ।
2. पैरा 10(ख) अनिर्णीत ।
3. पैरा 10(ग) अनिर्णीत ।
4. पैरा 12 अनिर्णीत ।
5. पैरा 13 अनिर्णीत ।
6. पैरा 15 अनिर्णीत ।

7.	पैरा 16	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 18	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 22	अनिर्णीत।

¼11½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2007 ls 3@2008

1.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 12	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 15	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 16	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 17	अनिर्णीत।
9.	पैरा 18	अनिर्णीत।
10.	पैरा 19	अनिर्णीत।
11.	पैरा 20	अनिर्णीत।
12.	पैरा 21	अनिर्णीत।
13.	पैरा 22	अनिर्णीत।

¼12½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2008 ls 3@2009

1.	पैरा 11	अनिर्णीत।
2.	पैरा 12	अनिर्णीत।
3.	पैरा 13	अनिर्णीत।
4.	पैरा 14	अनिर्णीत।
5.	पैरा 15	अनिर्णीत।
6.	पैरा 16	अनिर्णीत।
7.	पैरा 17	अनिर्णीत।
8.	पैरा 19	अनिर्णीत।
9.	पैरा 20	अनिर्णीत।
10.	पैरा 21	अनिर्णीत।
11.	पैरा 22	अनिर्णीत।
12.	पैरा 23	अनिर्णीत।
13.	पैरा 24	अनिर्णीत।

14.	पैरा 25	अनिर्णीत।	
15.	पैरा 26	अनिर्णीत।	

¼13½ vd{k.k ifrosnu vof/k 4@2009 l 3@2010

1.	पैरा 4(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 4 में समाविष्ट की गई है।
2	पैरा 4(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 4(1) में समाविष्ट की गई है।
3	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 5 में समाविष्ट की गई है।
4	पैरा 6	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 5(1) में समाविष्ट की गई है।
5	पैरा 7	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 5(1) में समाविष्ट की गई है।
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	
15	पैरा 17	अनिर्णीत	
16	पैरा 18	अनिर्णीत	
17	पैरा 19	अनिर्णीत	
18	पैरा 20	अनिर्णीत	
19	पैरा 21	अनिर्णीत	
20	पैरा 22	अनिर्णीत	
21	पैरा 23	अनिर्णीत	
22	पैरा 24	अनिर्णीत	
23	पैरा 25	अनिर्णीत	
24	पैरा 26	अनिर्णीत	

25	पैरा 27	अनिर्णीत
26	पैरा 28	अनिर्णीत
27	पैरा 29	अनिर्णीत
28	पैरा 30	अनिर्णीत
29	पैरा 31	अनिर्णीत

io uxj fodkl if/kdj.k l e.My ,d dk LFkkukUrfjr cdk;k ijk dh orleku fLFkfr %&

vd{k.k vof/k 1990&91

1.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 55	अनिर्णीत ।

vd{k.k vof/k 1991&92

1.	पैरा 9(ण) 3	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 9(ण) 4	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 9(त) (1)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 9(त) (2)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 9(त) (4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 9(त) (7)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 9(त) (8)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 11	अनिर्णीत ।

vd{k.k vof/k 1992&93

1.	पैरा 11	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 13	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 24	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 25	अनिर्णीत ।

6.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 27	अनिर्णीत ।

vd{k.k vof/k 1993&94

1.	पैरा 11(वी)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 11(के)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 12	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 14	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 20(ए0सी0के0)	अनिर्णीत ।
19.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
20.	पैरा 22	अनिर्णीत ।
21	पैरा 31(ए)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 31(बी)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
24	पैरा 33	अनिर्णीत ।

vd{k.k vof/k 1994&95

1.	पैरा 5(6)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 5(18)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 5(19)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 6(3)(1)	अनिर्णीत ।

5.	पैरा 6(3)(4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 6(5)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 6(16)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 6(18)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 6(19)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 6(20)	अनिर्णीत ।

vkd{k.k vof/k 1995&96

1.	पैरा 34	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 38	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 39	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 40	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 43	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 44	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 47	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 49	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 50	अनिर्णीत ।

vkd{k.k vof/k 1996&97

1.	पैरा 13(ड)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 30(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 30(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 30(च)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत ।

10.	पैरा 31(ङ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 33(क)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत ।
17	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत ।
19	पैरा 37	अनिर्णीत ।
20	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 40(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 45(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 50	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 54(च)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 65	अनिर्णीत ।

v:d{k.k vof/k 1997&98

1.	पैरा 14 (मण्डल1 व 2)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 15(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत ।

13.	पैरा 15(भ)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 15(म)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 15(त)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 15(थ)(1)	अनिर्णीत ।
17	पैरा 15(थ)(2)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 15(थ)(3)	अनिर्णीत ।
19	पैरा 21(1)	अनिर्णीत ।
20	पैरा 21(2)(1)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 21(3)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत ।
29.	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत ।
30.	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत ।
31.	पैरा 22(16)	अनिर्णीत ।
32.	पैरा 22(17)	अनिर्णीत ।
33.	पैरा 22(19)	अनिर्णीत ।
34.	पैरा 22(20)	अनिर्णीत ।
35.	पैरा 22(22)	अनिर्णीत ।
36.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत ।

vads{k.k vof/k 4@1998 ls 3@1999

1.	पैरा 18	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 25	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 32,33,34,35,36,37	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 61	अनिर्णीत ।

8.	पैरा 71	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 78	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 79	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 80	अनिर्णीत ।

vkd{k.k vof/k 4@1999 ls 15-1-2001

1.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 22(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 26(6)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 31	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 32(क)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 35	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 36	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 38	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 47	अनिर्णीत ।